



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092022-239190
CG-DL-E-28092022-239190

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 654]
No. 654]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2022/आश्विन 6, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2022/ ASVINA 6, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2022

सं. 51/2022 सीमाशुल्क

सा.का.नि. 736(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 25/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2021 जिसे सा.का.नि. 241 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा, -

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "30,000 टन" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

[फा. सं. 190354/49/2021-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 25/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2021 को सा.का.नि. 241 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित

किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे सा.का.नि. 247 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2022

No. 51/2022—Customs

G.S.R. 736(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.25/2021-Customs, dated the 31st March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 241 (E), dated the 31st March, 2021, namely :-

In the said notification, against S.No. 7, in column (4), for the entry, the entry “30,000 tons” shall be substituted.

[F. No. 190354/49/2021-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note: The principal notification No. 25/2021-Customs, dated the 31st March, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 241(E), dated the 31st March, 2021, and was last amended *vide* notification No. 17/2022-Customs, dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R.247(E), dated the 31st March, 2022.